(सत्यप्रतिलिपि)

न्या. अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) धमतरी, छ0ग0

(आदेश दिनांक 07/11/2020)

जमानत याचिका कमांक 259/20
थाना अर्जुनी,
अपराध कमांक 371/20,
धारा 307, 34 भादसं

डोमन हिरवानी पिता भरतलाल हिरवानी,

उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम पोटियाडीह

थाना अर्जुनी, जिला धमतरी, छ0ग0................**आवेदक/अभियुक्त**

—विरूद्ध—

छ0ग0 राज्य द्वारा,

आरक्षी केन्द्र अर्जुनी,

जिला धमतरी छ0ग0....................................**अनावेदक/अभियोजन**

07-11-2020 माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश कमांक 79 विविध दो—14—01/2020 बिलासपुर दिनांक 15 जुलाई 2020 एवं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी, छ0ग0 के विविध आदेश कमांक क/दो—12—08/2020, धमतरी, दिनांक 16.07.2020 के पालन में यह जमानत याचिका संबंधित न्यायालय के संबंधित मूल अभिलेख सहित सुनवाई हेतु मेरे समक्ष पेश।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्री अनिल कुमार गांधी अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य शासन की ओर से श्री मोहित कुमार देवांगन, लोक अभियोजक उपस्थित।

जमानत आवेदन पर उभयपक्ष का तर्क वी0सी0 के माध्यम से सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया।

आवेदक/अभियुक्त ने प्रथम नियमित जमानत आवेदन होना, इसके अतिरिक्त मान्नीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में कोई जमानत आवेदन लंबित या निराकृत नहीं होना बताया है। समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसका भाई अनेश्वर हिरवानी ने शपथ पत्र पेश कर घोषणा किया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से उक्त आवेदन पेश कर निवेदन किया गया है कि उसके एवं अन्य दो अभियुक्तों के विरूद्ध थाना अर्जुनी में अपराध क्रमांक 371/20, धारा 307, 34 भादसं पंजीबद्ध किया गया है। वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। वह दिनांक 06.09.2020 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। उसके जेल में निरूद्ध रहने से उसके परिवार के समक्ष भरणपोषण की समस्या उत्पन्न हो गयी है। अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। इस प्रकरण के अन्य दो सह अभियुक्तों की जमानत इस न्यायालय द्वारा मंजूर की जा चुकी है। आवेदक/ अभियुक्त भी इस प्रकरण में एक सह अभियुक्त है। उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदक/ अभियुक्त भी समानता के सिद्धांत के आधार पर जमानत की पात्रता रखता है। कोविड 19 के चलते प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। वह दर्शित पते का स्थायी निवासी है। वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तो का पालन करने को तैयार है। तदानुसार जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अनावेदक/शासन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया है।

अभिलेख के अनुसार दिनांक 05.09.2020 को प्रार्थी नितेश साहू ग्राम पोटियाडीह के महाराज होटल में चाय पी रहा था उसी समय आवेदक/ अभियुक्त डोमन हिरवानी अपने हाथ में बंटची चाकू लेकर प्रार्थी नितेश साहू को पुलिस का मुखबिरी करता है कहकर आज तुझे जान सहित मार दूंगा नहीं छोडूंगा बोलते हुये अपने पास रखे चाकू से प्रार्थी नितेश साहू के बांये कमर के उपर पेट में चाकू से प्राण घातक हमला किया है तथा लतीफखान द्वारा चाकू मारते समय प्रार्थी के दोनों हाथ को पकड़ा हुआ था एवं बाद में उसी चाकू से लतीफ खान के द्वारा प्रार्थी के दाहिने कान के उपर सिर में चाकू मारा है तथा डोमन की मां प्रतिमा ढीमर भी प्रार्थी को जान सहित मार दो कहते हुये हाथ थप्पड़ से मारपीट की। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य दो के विरूद्ध उक्त अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचनोपरांत उपरोक्त धारा के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है।

जमानत आवेदन पर विचार किया गया। इस प्रकरण के अन्य दो सह अभियुक्तों की जमानत इस न्यायालय द्वारा मंजूर की जा चुकी है यद्यपि आवेदक/ अभियुक्त इस प्रकरण के मुख्य अभियुक्त हैं तथापि वर्तमान में कोविड 19 की परिस्थिति तथा अभियुक्त की अभिरक्षा की अवधि एवं प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुये जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रकट है। अतएव आवेदक/ अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत

धारा 439 दंप्रसं स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। आदेशित किया जाता है कि यदि प्रत्येक आवेदक/ अभियुक्त के द्वारा संबंधित न्यायालय के संतुष्टि योग्य 25,000–25,000रूपये का दो सक्षम जमानत एवं 50,000रूपये की राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहने, साक्षियों को प्रभावित व प्रलोभित न करने की शर्त पर प्रस्तुत करे तो उसे उक्त अपराध में रिहा किया जावे।

आदेश की प्रतिलिपि ईमेल के माध्यम से संबंधित न्यायालय को सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित की जावे तथा संबंधितों को भी भेजी जावे।

जमानत प्रकरण का रिजल्ट नोट कर प्रकरण अभिलेखागार में जमा हो।

सही/–
(छमेश्वर लाल पटेल)
अपर सत्र न्यायाधीश(एफ.टी.सी.)
वास्ते सत्र न्यायाधीश
धमतरी, छ0ग0

प्रतिलिपि/–1. संबंधित न्यायालय को ईमेल के माध्यम से तथा संबंधित अभिलेख सहित प्रेषित। **02.** लोक अभियोजक को प्रेषित।

सही/–
(छमेश्वर लाल पटेल)
अपर सत्र न्यायाधीश(एफ.टी.सी.)
वास्ते सत्र न्यायाधीश
धमतरी,छ0ग0